प्रति,

टोकन के इस भाग को आवेदक को देवे
जिला :- रायपुर कलेक्टर जनदर्शन
https://jandarshan.cg.nic.in
जनदर्शन का टोकन नम्बर 21109241002135
सुरक्षा नं. 876
दिनांक - 25/11/2024

विषय :- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर रविरिंग द्वारा ग्राम पटेल की अवैधानिक नियुक्ति निरस्त करने बाबत् ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि ग्राम बेन्द्री, प.ह.नं. 13, रा.नि.मं. केन्द्री, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 202371111000013 /अ/55 वर्ष 2022-23 दर्ज कर ग्राम पटेल नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 के देय प्रावधानो के अंतर्गत प्रकरण न्यायालय तहसीलदार अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. को प्रतिवेदन प्राप्त हेतु अंतरण किया गया ।

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर द्वारा ज्ञापन क्रं. 3322 दिनाँक 26-09-2023 को ईश्तहार जारी कर आवेदक (1) लक्ष्मीनाथ साहू पिता अमृत लाल साहू एवं (2) देवकुमार साहू पिता झुमुक लाल साहू के संबंध मे दिनाँक 06-10-2023 तक दावा आपत्ति हेतु नियत तिथि निर्धारित कर ग्राम बेन्द्री मे मुनादी तथा समाचार पत्र मे ईश्तहार प्रकाशन किया गया तत्तप्रश्वात न्यायालय तहसीलदार अभनपुर ज्ञापन दिनाँक 06-10-2023 आवेदकगण के संबंध मे सरपंच /सचिव ग्राम पंचायत बेन्द्री को ग्राम पंचायत प्रस्ताव 13-10-2023 के पूर्व प्रस्तुत करे अन्यथा आपकी मौन स्वीकृति मानकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उक्त संबंध मे ग्राम पंचायत बेन्द्री द्वारा आवेदक क्रं. (1) लक्ष्मीनाथ साहू पिता अमृत लाल साहू को दिनाँक 25-09-2023 प्रस्ताव क्रं. 08 पर पटेल नियुक्ति पर ग्राम पंचायत किसी प्रकार की आपत्ति नही होने का प्रस्ताव पारित किया गया अतः प्रस्ताव की प्रतिलीपी उचित कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है ।

यह कि उक्त संबंध मे थाना प्रभारी राखी अटल नगर को 26-09-2023 को चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ज्ञापन जारी किया तथा हल्का पटवारी नं. 13 से भूमि स्वामी के संबंध मे आवेदकगण के संबंध मे जानकारी प्रतिवेदन मंगाया गया तत्पश्चात थाना प्रभारी राखी द्वारा दोनो आवेदकगण के संबंध मे थाना से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हल्का पटवारी से भूमि स्वामी होने का प्रमाण पत्र तथा आवेदकगणो के शिक्षण के संबंध मे प्रतिवेदन मंगाया गया जिसमे लक्ष्मीनाथ साहू उत्तीर्ण कक्षा पांचवी तथा देवकुमार साहू का एम.ए. अर्थशास्त्र उत्तीर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है ।

छ.ग. भू.रा.संहिता 1959 की धारा 222 मे पटेल नियुक्ति हेतु विधिक प्रावधान

छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 देय प्रावधान के नियम 08 एवं 09 अंतर्गत यदि आवेदकगण की संख्या पटेल पद के लिए योग्य पाए गए है संख्या से ज्या है तो भूमि स्वामी के मध्य मतदान कर चुनाव करने का प्रावधान होने से अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर रविसिंग द्वारा खुले न्यायालय मे दिनाँक 10-06-2024 को आदेशित कर न्यायालय तहसीलदार अभनपुर को मतदान प्रक्रिया हेतु प्रकरण अंतरण किया गया।

तत्पश्चात तहसीलदार अभनपुर द्वारा दिनाँक 13-07-2024 प्रकरण एस.डी.एम अभनपुर से प्राप्त कर राजस्व निरीक्षक को पत्र जारी किया गया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम मे भूमिस्वामी के मतदान प्रक्रिया हेतु मतदाता सूची प्रकाशन कर दावा आपत्ति हेतु ग्राम मे मुनादी कर ग्राम पंचायत बेन्द्री मे सूचना पटल पर मतदाता सूची चश्पा कर दावा आपत्ति निर्धारित समय तक न्यायालय अभनपुर को सूचना दी गई है।

मतदान प्रक्रियाधीन होने बावजूद अनु.अधि. रविसिंग द्वारा अविधिक आदेश पारित

यह कि मतदान नियमानुसार प्रक्रियाधीन होने के बावजूद तथ्यो का बिना अवलोकन किये आवेदक क्रं. 01 को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 के देय प्रावधानो को दरकिनार कर दिनाँक 18-11-2024 को पटेल नियुक्ति ग्राम पंचायत बेन्द्री का प्रस्ताव के आधार पर किया गया है जो कि अविधिक है तथा भारत की संविधान मे अनुच्छेद -32 का हनन किया गया जिससे न्यायपालिका द्वारा प्रदत्त अधिकारो का दुरूपयोग तथा न्यायपालिका पर कुठाराघात होने से मै आहत हूँ।

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला रायपुर (छ.ग.) वाद निर्णय अवलोकनीय है

यह कि न्यायालय कलेक्टर, जिला रायपुर (छ.ग.) अपील प्रकरण क्रं. 202312113000010 अ/55 वर्ष 2023-24 उभयराम साहू विरूध्द गैंदराम साहू ग्राम कन्हेरा तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) मे पटेल नियुक्त के संबंध मे वाद निर्णय मे यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भू.रा. संहिता 1959 की धारा 222 के देय नियम 08 व 09 के अनुसार एक से अधिक पटेल नियुक्ति हेतु पात्र आवेदक संख्या होने पर मतदान का प्रावधान है तथा ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति नही की जा सकती स्पष्ट आदेश मे वर्णन किया गया है तथा गैंदराम साहू के पटेल नियुक्ति अनुविभागीय अधिकारी अभनपुर अविधिक मानकर निरस्त किया गया है।

प्रार्थना

(1) नियुक्ति मे अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर द्वारा किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने हेतु संवैधानिक पद का दुरूपयोग किया गया है मानो ऐसा लगता है कि उनको राजनीतिक दबाव या राजनीतिक संरक्षण संलिप्ता होना प्रतीत होता है जिससे उनके द्वारा भारतीय संविधान मे प्राप्त न्यायपालिका की शक्ति का

.... क्रमशः

दुरुपयोग किया जाकर पटेल नियुक्ति किया गया है जिसे निरस्त कर विधिक रूप से नियमानुसार नियुक्ति करने की कृपा करेंगें ।

(2) सरपंच /सचिव ग्राम पंचायत बेन्द्री द्वारा आवदकगण के संबंध मे प्रस्ताव की मांग तहसीलदार अभनपुर द्वारा किया गया था परंतु केवल एक ही आवेदक लक्ष्मीनाथ के पक्ष मे प्रस्ताव या अनापत्ति प्रदान किया गया है जिसमे देवकुमार साहू के नाम का प्रस्ताव रखा नही गया जिससे प्रतीत होता है कि सचिव ग्राम पंचायत बेन्द्री तुलसीराम यादव द्वारा प्रशासनिक पद का दुरुपयोग होना परिलक्षित है तथा सरपंच द्वारा संवैधानिक पद पर आसीन होकर विधि द्वारा स्थापित पद ग्रहण से पूर्व लिये गये शपथ की अवहेलना है अतः पंचायती राज अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ।

(3) यह कि तहसीलदार अभनपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अभनपुर को प्रतिवेदन देने पूर्व ग्राम पंचायत बेन्द्री द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन करने मे भूल की गई जिसमे स्पष्ट था कि यदि प्रस्ताव नियत समय मे नही दी जाती है तो मौन स्वीकृति अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जायेगी अर्थात लक्ष्मीनाथ साहू द्वारा ग्राम पंचायत प्रस्ताव म नियुक्ति के संबंध मे अनापत्ति दी गई है तथा आवेदक देवकुमार के संबंध मे मौन स्वीकृति ग्राम सभा का समर्थन मानकर प्रतिवेदित करना था तहसीलदार अभनपुर द्वारा अविधिक प्रतिवेदन से क्षुब्ध हूँ जिससे मुझे मानसिक क्षति पहुँची अतः विधिक कार्यवाही करने की कृपा करेंगें ।

(4) उपरोक्त वर्णित सारगर्भित तथ्यो से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर रविसिंग द्वारा भारतीय संविधान धारा अनुच्छेद – 32 का हनन है उनके द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है न्यायपालिका से बढ़कर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाया गया जो कि राज्य प्रशासनिक पद पर कार्य करने की अनुभवहीनता तथा ऐसे अधिकारी को किसी भी विधिक पद पर पदोउन्नति न दी जावे अतः इनके विरूध्द विधिक कार्यवाही करने की कृपा करेंगें ।

आवेदक

देवकुमार साहू

ग्राम – बेन्द्री, तहसील – अभनपुर

जिला – रायपुर (छ.ग.)

मो. – 8516030555

स्थान – रायपुर

दिनाँक – 25-11-2024

प्रतिलिपी :-

1) श्री चरणदास महंत जी नेताप्रतिपक्ष छ.ग. विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से न्याय दिलाने हेतु सादर सम्प्रेषित

2) संपादक, समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया को सादर सम्प्रेषित ।

प्रति,

श्री रमेन डेका जी
राज्यपाल
छत्तीसगढ़

विषय :- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर रविरिंग द्वारा ग्राम पटेल की अवैधानिक नियुक्ति निरस्त करने बावत् ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि ग्राम वेन्द्री, प.ह.नं. 13, रा.नि.मं. केन्द्री, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 202371111000013 /अ/55 वर्ष 2022-23 दर्ज कर ग्राम पटेल नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 के देय प्रावधानो के अंतर्गत प्रकरण न्यायालय तहसीलदार अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. को प्रतिवेदन प्राप्त हेतु अंतरण किया गया ।

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर द्वारा ज्ञापन क्रं. 3322 दिनाँक 26-09-2023 को ईश्तहार जारी कर आवेदक (1) लक्ष्मीनाथ साहू पिता अमृत लाल साहू एवं (2) देवकुमार साहू पिता झुमुक लाल साहू के संबंध मे दिनाँक 06-10-2023 तक दावा आपत्ति हेतु नियत तिथि निर्धारित कर ग्राम वेन्द्री मे मुनादी तथा समाचार पत्र मे ईश्तहार प्रकाशन किया गया तत्तप्रश्चात न्यायालय तहसीलदार अभनपुर ज्ञापन दिनाँक 06-10-2023 आवेदकगण के संबंध मे सरपंच /सचिव ग्राम पंचायत वेन्द्री को ग्राम पंचायत प्रस्ताव 13-10-2023 के पूर्व प्रस्तुत करे अन्यथा आपकी मौन स्वीकृति मानकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त संबंध मे ग्राम पंचायत वेन्द्री द्वारा आवेदक क्रं. (1) लक्ष्मीनाथ साहू पिता अमृत लाल साहू को दिनाँक 25-09-2023 प्रस्ताव क्रं. 08 पर पटेल नियुक्ति पर ग्राम पंचायत किसी प्रकार की आपत्ति नही होने का प्रस्ताव पारित किया गया अतः प्रस्ताव की प्रतिलीपी उचित कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेपित है ।

यह कि उक्त संबंध मे थाना प्रभारी राखी अटल नगर को 26-09-2023 को चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ज्ञापन जारी किया तथा हल्का पटवारी नं. 13 से भूमि स्वामी के संबंध मे आवेदकगण के संबंध मे जानकारी प्रतिवेदन मंगाया गया तत्पश्चात थाना प्रभारी राखी द्वारा दोनो आवेदकगण के संबंध मे थाना से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हल्का पटवारी से भूमि स्वामी होने का प्रमाण पत्र तथा आवेदकगणो के शिक्षण के संबंध मे प्रतिवेदन मंगाया गया जिसमे लक्ष्मीनाथ साहू उत्तीर्ण कक्षा पांचवी तथा देवकुमार साहू का एम.ए. अर्थशास्त्र उत्तीर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है ।

राज्यपाल का सचिवालय
राजभवन, छत्तीसगढ़

प्रति,

श्रीमान आयुक्त
कार्यालय- आयुक्त रायपुर संभाग
रायपुर छत्तीसगढ़

विषय :- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर रविरिंग द्वारा ग्राम पटेल की अवैधानिक नियुक्ति निररत करने बाबत् ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि ग्राम बेन्द्री, प.ह.नं. 13, रा.नि.मं. केन्द्री, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर द्वारा राजरव प्रकरण क्रमांक 202371111000013 /अ/55 वर्ष 2022-23 दर्ज कर ग्राम पटेल नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजरव संहिता 1959 की धारा 222 के देय प्रावधानो के अंतर्गत प्रकरण न्यायालय तहसीलदार अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. को प्रतिवेदन प्राप्त हेतु अंतरण किया गया ।

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर द्वारा ज्ञापन क्रं. 3322 दिनाँक 26-09-2023 को ईश्तहार जारी कर आवेदक (1) लक्ष्मीनाथ साहू पिता अमृत लाल साहू एवं (2) देवकुमार साहू पिता झुमुक लाल साहू के संबंध मे दिनाँक 06-10-2023 तक दावा आपत्ति हेतु नियत तिथि निर्धारित कर ग्राम बेन्द्री मे मुनादी तथा समाचार पत्र मे ईश्तहार प्रकाशन किया गया तत्तप्रश्चात न्यायालय तहसीलदार अभनपुर ज्ञापन दिनाँक 06-10-2023 आवेदकगण के संबंध मे सरपंच /सचिव ग्राम पंचायत बेन्द्री को ग्राम पंचायत प्रस्ताव 13-10-2023 के पूर्व प्रस्तुत करे अन्यथा आपकी मौन स्वीकृति मानकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त संबंध मे ग्राम पंचायत बेन्द्री द्वारा आवेदक क्रं. (1) लक्ष्मीनाथ साहू पिता अमृत लाल साहू को दिनाँक 25-09-2023 प्रस्ताव क्रं. 08 पर पटेल नियुक्ति पर ग्राम पंचायत किसी प्रकार की आपत्ति नही होने का प्रस्ताव पारित किया गया अतः प्रस्ताव की प्रतिलीपी उचित कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है ।

यह कि उक्त संबंध मे थाना प्रभारी राखी अटल नगर को 26-09-2023 को चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ज्ञापन जारी किया तथा हल्का पटवारी नं. 13 से भूमि स्वामी के संबंध मे आवेदकगण के संबंध मे जानकारी प्रतिवेदन मंगाया गया तत्पश्चात थाना प्रभारी राखी द्वारा दोनो आवेदकगण के संबंध मे थाना से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हल्का पटवारी से भूमि स्वामी होने का प्रमाण पत्र तथा आवेदकगणो के शिक्षण के संबंध मे प्रतिवेदन मंगाया गया जिसमे लक्ष्मीनाथ साहू उत्तीर्ण कक्षा पांचवी तथा देवकुमार साहू का एम.ए. अर्थशास्त्र उत्तीर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है ।

25/11/24
आवक / जावक
कार्यालय कमिश्नर
रायपुर संभाग, रायपुर (छ.ग.)

प्रति,

सचिव

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महानदी भवन अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

विषय :- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर रविरिंग द्वारा ग्राम पटेल नियुक्ति मे विधिक नियमो को दरकिनार कर प्रशासनिक पद का दुरूपयोग कर भारतीय संविधान अनुच्छेद – 32 हनन तत्काल विधिक कार्यवाही की माँग बाबत् ।

महोदय,

मै देवकुमार साहू निवासी ग्राम बेन्द्री सविनय निम्न लिखित निवेदन करता हूँ कि –

(1) यह कि ग्राम बेन्द्री, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 के अंतर्गत देय प्रावधानो के अंतर्गत ग्राम पटेल के रिक्त पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया तत्पश्चात न्यायालय तहसीलदार अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा रा.प्र.क्रं. 202307110000013 अ/55वर्ष 2022–23 दिनाँक 26/09/2023 को ईश्तहार जारी किया गया जिसमे आवेदकगण (1) लक्ष्मीनाथ साहू पिता स्व. श्री अमृत लाल साहू निवासी ग्राम बेन्द्री तहसील अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.), (2) देवकुमार साहू पिता श्री झुमुक लाल साहू निवासी ग्राम बेन्द्री तहसील अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा ग्राम बेन्द्री के लिए रिक्त पटेल पद पर नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । जिस संबंध मे दावा या आपत्ति के लिए दिनाँक 06–10–2023 नियत था ।

(2) यह कि न्यायालय तहसीलदार अभनपुर द्वारा आवेदकगण के संबंध मे संबंधित थाना प्रभारी राखी तथा ग्राम पंचायत बेन्द्री जनपद पंचायत अभनपुर से अभिमत /प्रस्ताव की लिखित ज्ञापन के माध्यम से माँग की गई है ।

(3) यह कि उक्त संबंध मे थाना राखी से आवेदकगण का चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ परंतु ग्राम पंचायत बेन्द्री द्वारा केवल एक आवेदक लक्ष्मीनाथ पिता अमृत लाल साहू के नाम का प्रस्ताव पारित कर न्यायालय अभनपुर को भेजा गया है जिसमे लेख है कि लक्ष्मीनाथ के पिता पूर्व मे ग्राम पटेल था इसलिए उसके पुत्र लक्ष्मीनाथ साहू का नाम ग्राम पटेल का प्रस्तावित किया गया है । तत्पश्चात् तहसीलदार अभनपुर द्वारा प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर को अंतरण किया गया है ।

प्रति,

श्री टंकराम वर्मा जी.
राजस्व मंत्री छ.ग. शासन
महानदी भवन अटल नगर रायपुर छ.ग.

विषय :- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर रविसिंग द्वारा ग्राम पटेल नियुक्ति मे विधिक नियमो को दरकिनार कर प्रशासनिक पद का दुरूपयोग कर भारतीय संविधान अनुच्छेद - 32 हनन तत्काल विधिक कार्यवाही की माँग बाबत् ।

महोदय,

मै देवकुमार साहू निवासी ग्राम बेन्द्री सविनय निम्न लिखित निवेदन करता हूँ कि -

(1) यह कि ग्राम बेन्द्री, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 के अंतर्गत देय प्रावधानो के अंतर्गत ग्राम पटेल के रिक्त पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया तत्पश्चात न्यायालय तहसीलदार अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा रा.प्र.क्रं. 20230711000013 अ/55वर्ष 2022-23 दिनाँक 26/09/2023 को ईश्तहार जारी किया गया जिसमे आवेदकगण (1) लक्ष्मीनाथ साहू पिता स्व. श्री अमृत लाल साहू निवासी ग्राम बेन्द्री तहसील अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.), (2) देवकुमार साहू पिता श्री झुमुक लाल साहू निवासी ग्राम बेन्द्री तहसील अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा ग्राम बेन्द्री के लिए रिक्त पटेल पद पर नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । जिस संबंध मे दावा या आपत्ति के लिए दिनाँक 06-10-2023 नियत था ।

(2) यह कि न्यायालय तहसीलदार अभनपुर द्वारा आवेदकगण के संबंध मे संबंधित थाना प्रभारी राखी तथा ग्राम पंचायत बेन्द्री जनपद पंचायत अभनपुर से अभिमत /प्रस्ताव की लिखित ज्ञापन के माध्यम से माँग की गई है ।

(3) यह कि उक्त संबंध मे थाना राखी से आवेदकगण का चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ परंतु ग्राम पंचायत बेन्द्री द्वारा केवल एक आवेदक लक्ष्मीनाथ पिता अमृत लाल साहू के नाम का प्रस्ताव पारित कर न्यायालय अभनपुर को भेजा गया है जिसमे लेख है कि लक्ष्मीनाथ के पिता पूर्व मे ग्राम पटेल था इसलिए उसके पुत्र लक्ष्मीनाथ साहू का नाम ग्राम पटेल का प्रस्तावित किया गया है । तत्पश्चात् तहसीलदार अभनपुर द्वारा प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर को अंतरण किया गया है ।

22/11/24
कार्यालय
मंत्री
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
कार्यालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

.... क्रमशः